

न्यायालय:-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, तहसील बैहर,
जिला बालाघाट (म0प्र0)

समक्ष:-दिलीप सिंह

आर.सी.एस.ए-300011 / 2016

संस्थित दिनांक-02.03.2016

- 1-बिसराम, उम्र-47 साल पिता स्व. फागुसिंह, जाति गोंड,
निवासी-पोंण्डी(गढ़ी)
- 2-अन्तराम, उम्र-49 साल पिता स्व. फागुसिंह, जाति गोंड,
निवासी-पोंण्डी(गढ़ी)
- 3-लखन, उम्र-52 साल, पिता स्व. फागुसिंह, जाति गोंड,
निवासी-पोंण्डी(गढ़ी)
- 4-श्रीमती पांचोबाई, उम्र-47 साल पिता स्व. फागुसिंह, जाति गोंड,
निवासी-पोंण्डी(गढ़ी)
- 5-श्रीमती गीता बाई उम्र-21 साल पति दिनेश, जाति गोंड,
निवासी-घोटा, पोस्ट छपरतला, त. बिछिया, जिला मण्डला।
- 6-समरत, उम्र-23 साल पिता स्व. जगन सिंह, जाति गोंड,
निवासी-पोंण्डी(गढ़ी)
- 7-दुलारी, उम्र-28 साल, पति अनुराज, जाति गोंड,
निवासी-चनगांव, पोस्ट खलौंडी,
- 8-सुनीताबाई, उम्र-26 साल, पति राकेश, जाति गोंड,
निवासी-खलौण्डी क्र. 6 व 7 दोनों का तहसील बिछिया, जिला मण्डला।
- 9-सुधराम, उम्र-24 साल पिता स्व. जगन, जाति गोंड,
निवासी-पोंण्डी(गढ़ी)
- 10-श्रीमती रामकुंवर, उम्र-50 साल, पति स्व. जगन, जाति गोंड,
निवासी-पोंण्डी(गढ़ी)

11-पतिराम, उम्र-50 साल, पिता स्व. सुखराम, जाति गोंड,
निवासी-पोंण्डी(गढ़ी)

12-रतिराम, उम्र-40 साल, पिता स्व. सुखराम, जाति गोंड,
निवासी-पोंण्डी(गढ़ी)

13-श्रीमती कुशलाबाई, उम्र-46 साल, पिता स्व. सुखराम, जाति गोंड,
निवासी-पोंण्डी(गढ़ी) तहसील बैहर, जिला बालाघाट

.....वादीगण

- / / विरुद्ध / / -

1-माहुसिंह, उम्र-50 साल, पिता स्व. धरमसिंह, जाति गोंड,
निवासी-पोंण्डी(गढ़ी)

2-महासिंह, उम्र-35 साल, पिता स्व. धरमसिंह, जाति गोंड,
निवासी-पोंण्डी(गढ़ी)

3-श्रीमती शान्तिबाई, उम्र-56 साल पति दुलम सिंह गोंड,
निवासी-पोंण्डी,

4-श्रीमती मेहतारिनबाई, उम्र-40 साल, पति कन्हैया गोंड,
निवासी-पोंण्डी,

5-मचो उर्फ मत्तोबाई, उम्र-30 साल, पिता धरमसिंह गोंड,
निवासी-परसामउ,

6-श्रीमती रूकमणी नेताम, उम्र-50 साल, पति श्री कुमार नेताम,
ग्राम चन्दनडीह, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर छत्तीसगढ़

7-मध्यप्रदेश राज्य की ओर-श्रीमान कलेक्टर महोदय, बालाघाट

....प्रतिवादीगण

- / / निर्णय / / -

(आज दिनांक-31.01.2018 को घोषित)

1. वादीगण ने यह वादपत्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणा बंटवारा एवं
स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।

2. वादीगण का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही खानदान एवं जाति के सदस्य हैं। मूल पुरुष दिवान के फौत होने के पश्चात् खानदानी विवादित भूमि के उसके पुत्र फागुसिंह, सुमेरी, खदार मालिक काबिज हुए थे। फागुसिंह व खदार के अनपढ़ होने के कारण सुमेरी की मृत्यु के पश्चात् सुमेरी की पत्नी बजरोबाई द्वारा वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख के अनुसार फौती पश्चात् अपना का नाम पत्नी होने की हैसियत से दर्ज करा लिया था। बजरोबाई द्वारा चालाकी से मूल पुरुष के दोनों वारसानों का नाम खानदानी भूमि से 1954-55 के आक्षेप पंजी प्रपत्र-ई में राजस्व कर्मचारियों से मिलकर यह लिखवाया था की सुमेरी गोंड के सगे भाई फागु को अपनी परवरिश की गरज से अपने नाम के साथ शामिल-सरीक दर्ज कराया था। वादीगण के पिता का नाम कटवाकर स्वयं का नाम राजस्व प्रलेखों में नामांतरण करवा लिया था। विवादित भूमि ख.नं-7 रकबा 14.60ए. एवं वर्तमान में शेष बची भूमि ख.नं-7/1/1 रकबा 2.00 हे. मौजा पोण्डी, प.ह. नं-54 रा.नि.मं. बैहर, जिला बालाघाट में स्थित है, जिसमें सुमेरीसिंह की फौती के पश्चात् बजरोबाई का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज किया गया था।

3. वादीगण ने उनके वादपत्र में यह भी बताया है कि मूल पुरुष दिवान के तीन पुत्र क्रमशः फागुसिंह, सुमेरीसिंह, खदार थे। फागुसिंह के 5 वारसान थे, जिसमें वादी क्र. 1 लगा. 4 है तथा एक वारसान जगन पांच वर्ष पूर्व फौत हो चुका है, जिसके कुल 6 वारसान थे, जो वादी क्र. 5 से 10 हैं। खदार का एक पुत्र सुखराम था, जो फौत हो चुका है, जिसके तीन वारसान हैं, जो वादी क्र. 11 से 13 हैं। विवादित भूमि विरसातन हक में प्राप्त भूमि थी, जो वादीगण को खानदानी हक से प्राप्त होती, बजरोबाई द्वारा उक्त भूमि का अपने नाम पर नामांतरण कराकर संपूर्ण भूमि को अपनी पुत्री छिताबाई के नाम पर बयनामा दिनांक-18.05.1968 के द्वारा विक्रय कर विक्रयपत्र निष्पादित कर दिया गया है व भूमि का अपनी पुत्री के नाम पर नामांतरण करवा दिया गया है। विवादित भूमि का नामांतरण हो जाने के पश्चात् विवादित भूमि के राजस्व प्रलेखों में छिताबाई का नाम दर्ज किया गया है तथा छिताबाई की मृत्यु के पश्चात् उसके वारसान प्रति क्र. 1 से 5 तक का नाम फौती के पश्चात् दर्ज किया गया है। विवादित भूमि में से ख.नं. 7 रकबा 0.809 हे. भूमि बिक्रीपत्र दिनांक-28.09.2015, ख.नं. 7/1 में से रकबा 4.00 ए. भूमि दिनांक-04.12.

2015 द्वारा रुकमणी नेताम को विक्रय की गई है। वादपत्र की कंडिका-2 में दर्शाई गई भूमि को प्रति.क्र. 6 के द्वारा यह जानते हुए कि विवादित भूमि अधिकार अभिलेख में फागू के नाम पर दर्ज है। इसके पश्चात् भी प्रति.क्र. 6 ने क्रय की थी तथा संशोधन पंजी क्र. 17 दिनांक-04.01.2016 एवं संशोधन पंजी क्र. 15 दिनांक-06.10.2015 अनुसार प्रति.क्र.6 का नाम विवादित भूमि के राजस्व प्रलेखों में दर्ज किया गया है। ख.नं. 7/2 रकबा 0.809 हे., मौजा पोण्डी, प.हं.नं. 54 रा.नि.मं. बैहर, जिला बालाघाट की भूमि प्रति.क्र.6 के नाम पर है। वादीगण को इसकी जानकारी दिनांक-14.10.2015 को नकल प्राप्त करने पर हुई थी। उक्त विक्रयपत्र वादीगण पर बंधनकार नहीं होने से प्रभावशून्य घोषित किये जावें। वादीगण ने उनके वादपत्र की प्रार्थना के अनुसार उनके पक्ष में डिक्री दिये जाने का निवेदन किया है।

4. प्रकरण में प्रति.क्र. 1 लगा. 5 ने वादीगण के वादपत्र का जवाब प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार कर उनके विशेष कथन में बताया है कि सुमेरी की ख.नं. 7 रकबा 14.60ए, ख.नं. 49/2/12 रकबा 0.72ए, ख.नं. 49/2/14 रकबा 0.20ए, ख.नं. 56/2/6 रकबा 0.11ए, ख.नं. 66/7 रकबा 0.25ए, कुल 15.88ए. भूमि मौजा पोण्डी प.हं.नं. 54 रा.नि.मं. व तह. बैहर, जिला बालाघाट में स्थित थी, जो सुमेरी की स्वअर्जित भूमि होकर उसके जीवनकाल तक उसकी कास्त व कब्जे में रही थी। सुमेरी की मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी बजरोबाई का नाम वैध वारसान के रूप में फौती दाखिला में दर्ज हुआ था। बजरोबाई द्वारा विवादित भूमि उसकी पुत्री छीताबाई को ख.नं. 7 रकबा 14.60 ए., ख.नं. 19/2/12 रकबा 0.72ए, ख.नं. 49/2/14 रकबा 0.20, ख. नं. 56/2/6 रकबा 0.11ए, ख.नं. 66/7 रकबा 0.25ए. कुल 15.88ए. को 7,000/-रुपये की राशि प्राप्त कर दिनांक-18.05.1968 को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया था, तब से छीताबाई वादीगण एवं उनके पूर्वजों की जानकारी में बिना किसी बाधा के भूमि के कब्जे व कास्त में रही थी। छीताबाई के फौत होने के बाद विधिवत् वारसान हक में फौती दाखिला नामांतरण कराकर प्रति. क्र. 1 लगा. 5 द्वारा कास्त करते हुए ख.नं. 7 रकबा 14.60 ए. भूमि में से विधिवत् वैध अधिकार के अंतर्गत हक मालिकी भूमि स्वामी हक में धारण करते हुए प्रति.क्र. 6 को 9.00 ए. भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से विक्रय कर कब्जा मालिकी प्रति.क्र.6 को सौंप दिया था। उक्त भूमि पर वादीगण का कोई

कास्त व कब्जा नहीं रहा है, वादीगण ने बिना हक अधिकार के प्रतिवादीगण को परेशान करने के लिए झूठा वाद प्रस्तुत किया है, जो सव्यय निरस्त किया जावे।

5. प्रकरण में प्रति.क्र. 6 ने वादीगण के वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार कर उसके विशेष कथन में बताया है कि विवादित भूमि प्रतिवादीगण की माँ छीताबाई ने बजरोबाई से वर्ष 1968 में क़य कर कब्जा प्राप्त किया था तथा वर्ष 1968 से अपने जीवनकाल तक निरंतर मालिक काबिज होकर कास्त करता रहा था। छीताबाई की मृत्यु के पश्चात् उसके वारसान प्रति.क्र.1 लगा. 5 उक्त भूमि पर मालिक काबिज हुए थे। वादपत्र में वर्णित मूल पुरुष दिवान एवं उसके वारसानों को प्रस्तुत वाद से परोक्ष संबंध नहीं है। वादीगण झूठे वंशवृक्ष का सहारा लेकर एवं दिवान के वारसानों के विक्रय की गई भूमि को आधार बनाकर यह वाद प्रस्तुत किया है, जो प्रतिवादीगण पर बंधनकारक नहीं है। प्रति.क्र. 6 द्वारा प्रति.क्र.1 लगा. 5 के स्वामित्व अभिलेखों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् एवं संतुष्टि पश्चात् भूमि क़य कर कब्जा एवं स्वामित्व प्राप्त किया है, जिस पर वह मालिक काबिज चले आ रही है। प्रति.क्र. 6 ने वादीगण का वादपत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

6. प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-7 दिनांक-13.04.2016 को एकपक्षीय हो गया है, इस कारण प्रतिवादी क्रमांक-7 की ओर से वादीगण के वादपत्र का जवाबदावा नहीं दिया है।

7. प्रकरण में वादपत्र एवं प्रति.क्र.1 लगा. 6 के जवाबदावा के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये थे, जिनके सम्मुख मेरे द्वारा विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये गए।

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादीगण विवादित भूमि खसरा नम्बर-7 रकबा 14.60 एकड़ भूमि के स्वामी एवं आधिपत्यधारी है ?	“प्रमाणित”
2	क्या वादीगण विवादित भूमि का बंटवारा कराने कराने के अधिकारी हैं ?	“प्रमाणित”

3	क्या वादीगण भूमि खसरा नम्बर-7 रकबा 14.60 एकड़ की संशोधन पंजी कमांक-68 दिनांकित 04.06.1968 को प्रभाव शून्य घोषित कराकर राजस्व प्रलेखों में प्रतिवादी क्र. 01 लगायत 06 का नाम खारिज कराने का अधिकारी हैं ?	“प्रमाणित”
4	क्या वादीगण विवादित भूमि का विक्रय पत्र दिनांकित 18.05.1968 को शून्य घोषित कराने के अधिकारी हैं ?	“प्रमाणित”
5	क्या वादीगण विक्रय पत्र पंजीयन कमांक MP01032015A1096276 व पंजीयन कमांक MP01032015A1196061 को प्रभावशून्य घोषित कराने के अधिकारी हैं ?	“प्रमाणित”
6	क्या वादीगण विवादित भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कराने के अधिकारी हैं ?	“प्रमाणित”
7	सहायता एवं व्यय ?	वादीगण का वादपत्र निर्णय की कंडिका-19 के अनुसार आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है।

वादप्रश्न कमांक-01 लगा. 6 का निराकरण:-

8. वादप्रश्न क्र. 1 लगा. 6 एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस कारण उक्त वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

9. वादी बिसराम वा.सा.1 ने स्वयं के मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में अभिवचन के अनुरूप कथन करते हुए बताया है कि मूल पुरुष दिवान के फौत होने के पश्चात् खानदानी भूमि में उनके पुत्र फागूसिंह, खदार, के अनपढ़ होने के कारण सुमेरी की मृत्यु होने के पश्चात् सुमेरी की पत्नी बजरो के द्वारा वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख अनुसार फौती पश्चात् स्वयं का नाम पत्नी की हैसियत से दर्ज करा लिया था। उसी समय बजरोबाई के द्वारा मूल पुरुष

के दोनों पुत्र फागू एवं खदार का नाम खानदानी हक की भूमि में 1954-55 की अधिकार अभिलेख पंजी में राजस्व कर्मचारियों से मिलकर खारिज कराकर एवं कब्जा हटाने के लिए दरखास्त की थी। इस कारण वादी के पिता का नाम राजस्व दस्तावेजों से कटवाकर बजरोबाई ने स्वयं का नाम राजस्व प्रलेखों में नामांतरण करवा लिया था।

10. बिसराम वा.सा.1 ने उसकी साक्ष्य में यह भी बताया है कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 7 रकबा 14.60 एकड़ है, जिसका उल्लेख वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख में है। उक्त भूमि विवादग्रस्त भूमि है। वर्तमान में ख.नं. 7/1/1 रकबा 2.00 हे. भूमि बची हुई है। फागू के एक पुत्र जगन की 5 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई है। वादी क्र. 5 लगा. 10 उसके वारसान हैं। खदार का एक पुत्र हुआ था, जिसका नाम सुखराम था, जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसके वारसान वादी क्र. 11 लगा. 13 हैं। वादीगण का वादग्रस्त संपत्ति पर हक समाप्त करने के लिए बजरोबाई के द्वारा उसके नाम पर विवादग्रस्त भूमि का नामांतरण कराकर संपूर्ण भूमि उसकी पुत्री छीताबाई को दिनांक-18.05.68 के विक्रयपत्र द्वारा विक्रय कर दी है एवं संशोधन पंजी क्र. 68 दिनांकित 04.06.68 के द्वारा उक्त भूमि का बजरोबाई द्वारा अपनी पुत्री के नाम पर नामांतरण करा दिया है। विक्रयशुदा भूमि की चौहदवीं सीमा का गलत उल्लेख है। इस कारण विक्रयपत्र प्रभावशून्य है। छीताबाई की मृत्यु के पश्चात् उसके वारसान प्रति.क्र. 1 लगा. 5 के नाम पर उक्त भूमि फौती के पश्चात् दर्ज की गई थी। फौतीनामा वादीगण पर बंधनकारक नहीं है। साक्षी के मुख्यपरीक्षण के पैरा-6 में उल्लेखित भूमि एवं साक्षी के पैरा-7 में उल्लेखित भूमि प्रति.क्र.6 ने बगैर जानकारी के क्रय की है। प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अधिकारियों से दूरभि संधि कर भूमि की संशोधन पंजी को स्वीकार कराकर रिकार्ड दुरुस्त करा लिया है। वादीगण ने दस्तावेजों की दिनांक-18.11.15 को नकल निकलवाई थी, तब वादीगण को पता हुआ था कि अवैध बिक्रीपत्र के द्वारा संशोधन पंजी में विवादग्रस्त भूमि पर नाम दर्ज करा लिया है। साक्षी ने वादपत्र के पैरा-9 के अनुरूप मुख्यपरीक्षण के पैरा क्र. 9 में कथन किये हैं। वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्षी पतिराम वा.सा.2 ने उसके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र में वादीगण के अभिवचनों के अनुरूप कथन करते हुए वादी बिसराम वा.सा.1 की साक्ष्य की पुष्टि की है। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 लगा. 15 के राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

11. महासिंह प्र.सा.1 ने वादी साक्षी की साक्ष्य का खण्डन करते हुए मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में उसके अभिवचनों के अनुरूप कथन करते हुए बताया है कि उसके नाना सुमेरी की ख.नं. 7 रकबा 14.60 ए., ख.नं. 49/2/12 रकबा 0.72ए., ख.नं. 49/2/14 रकबा 0.20ए., ख.नं. 56/2/6 रकबा 0.11ए., ख.नं. 66/7 रकबा 0.25ए. कुल रकबा 15.88ए. भूमि मौजा पोण्डी प.ह.नं-54 रा.नि.मं. व तह. बैहर, जिला बालाघाट में स्थित थी। उक्त भूमि सुमेरी की स्वअर्जित भूमि थी। उक्त भूमि पर सुमेरी का कब्जा उसके जीवनकाल तक रहा था। उसके फौत होने के पश्चात् साक्षी की नानी बजरोबाई का नाम वैध वारसान के रूप में उक्त भूमि पर फौती दाखिला के पश्चात् दर्ज हुआ था। बजरोबाई ने उक्त भूमि पर कास्त करते हुए उक्त भूमि को अपनी पुत्री छीताबाई को दिनांक-18.05.68 को विक्रय कर आधिपत्य सौंप दिया था, तब से उक्त भूमि पर वादीगण एवं उनके पूर्वजों की जानकारी में छीताबाई का कब्जा रहा था, छीताबाई की मृत्यु के बाद फौती के आधार पर प्रति.क.1 लगा. 5 को वारसान हक प्राप्त हुआ था। उक्त प्रतिवादीगण ने ख.नं. 7 रकबा 14.60ए. भूमि में से प्रति.क. 6 को 9.00 ए. भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के द्वारा विक्रय कर कब्जा सौंपा दिया था। विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण का स्वामित्व एवं कब्जा नहीं है। विवादित भूमि पर बिना हक के साक्षी के नाना सुमेरी के भाई फागुसिंह का नाम दर्ज हो गया था, इस कारण सुमेरी की पत्नी के द्वारा राजस्व अधिकारियों को रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए दरखास्त दी थी, जिसके आधार पर बजरोबाई का नाम दर्ज किया गया था एवं फागुसिंह का नाम उसकी जानकारी में निरस्त किया गया था। प्रतिवादीगण ने उनके समर्थन में अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य नहीं कराई है एवं प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

12. प्रकरण में प्रति.क. 1 लगा. 5 ने लिखित तर्क प्रस्तुत कर उनकी लिखित तर्क में बताया है कि विवादित भूमि पर बजरोबाई की पुत्री छीताबाई उसके जीवनकाल से कृषि कार्य करते चले आ रही थी। वादीगण ने विवादग्रस्त भूमि के कब्जे एवं वादग्रस्त भूमि के पैतृक होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण के मालिकी एवं कब्जे से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं एवं प्रति.क.1 लगा. 5 ने लिखित तर्क में म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा-117 के सिद्धांतों के बारे में बताया है। प्रतिवादीगण के तर्कों पर विचार किया जाए तो बिसराम वा.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण

की कंडिका-15 में यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि वर्ष 1954-55 से आज दिनांक तक सुमेरी, बजरोबाई, छीताबाई एवं उसके वारसानों के नाम से दर्ज चली आ रही है। विवादित भूमि पर बजरोबाई की पुत्री छीताबाई उसके जीवनकाल में कृषि कार्य करती थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-12 में स्वतः में यह बताया है कि विवादित भूमि तीनों भाईयों के नाम पर दर्ज थी।

13. वादीगण ने लिखित तर्क प्रस्तुत कर बताया है कि प्रतिवादी साक्षी द्वारा स्वीकार किया गया है कि फागुसिंह का वर्ष 1954-55 में विवादग्रस्त भूमि के ख.नं. 7 में नाम दर्ज था। विवादित ख.नं. 7 की भूमि खानदानी भूमि थी, जिसमें फागुसिंह एवं सुमेरी का नाम दर्ज था। बजरोबाई द्वारा भूमि को विक्रयपत्र के माध्यम से अपनी पुत्री के नाम नामांतरण करने से स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा फागुसिंह के अनपढ़ होने का फायदा उठाया गया था। वर्ष 1968 में भूमि को बिना नाप किये फागुसिंह की बिना जानकारी के विक्रयपत्र निष्पादित किया था। वादीगण की तर्क पर विचार किया जाए तो महासिंह प्र.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-7 में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-9 के अधिकार अभिलेख के तफसील विशेष में फागू के नाम का उल्लेख है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-8 में यह स्वीकार किया है कि ख.नं-7 की भूमि पर पूर्व में फागू का नाम दर्ज था। उक्त ख.नं. की भूमि खानदानी भूमि थी, जिसमें फागू सुमेरी का नाम दर्ज था एवं साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि ख.नं. 7 की जमीन उन्होंने बेच दी है। महासिंह प्र.सा.1 ने विवादग्रस्त भूमि को खानदानी भूमि होना एवं विवादित भूमि पर फागू का नाम दर्ज होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि वादीगण की खानदानी भूमि थी। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की तर्कों पर विचार किया जावे तो वादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई संशोधन पंजी क्रमांक-5 प्रदर्श पी-12 में यह उल्लेख है कि भूमि सर्वे क्र. 7 रकबा 14.60 ए. भूमि सुमेरी पिता दिवान गोंड के नाम पर दर्ज थी। सुमेरी की मृत्यु होने पर सुमेरी गोंड की पत्नी बेवा बजरोबाई एवं सुमेरी गोंड के भाई फागू गोंड का अपनी परवरीश की गरज से अपने नाम के साथ शामिल-सरीक में नाम दर्ज कराया था। फागू गोंड, बजरोबाई को कास्त नहीं करने देता था। उक्त संशोधन पंजी के द्वारा फागू का नाम विवादित भूमि से अलग किया था। उक्त संशोधन पंजी में यह भी लिखा है कि विवादित सर्वे नं. की भूमि बजरोबाई के पति के नाम से थी। उसके पति के मरने के बाद उसके देवर फागू का नाम शामिल-सरीक रूप से

दर्ज हो गया था। उक्त संशोधन पंजी के द्वारा बजरोबाई ने फागू का नाम विवादित भूमि से खारिज कराया था। उक्त संशोधन पंजी में यह भी लिखा है कि विवादित सर्वे नं. 7 की भूमि बजरोबाई के पति के नाम से थी। इस कारण बिना सहमति के सुमेरी की पत्नी बजरोबाई का नाम, फागू के नाम के साथ शामिल नहीं हो सका था। इस कारण विरासतन हक से फागू का नाम खाते से अलग रखा गया था।

14. प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी-9 की संशोधन पंजी के द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर बजरोबाई का नाम दर्ज हुआ था एवं फागूसिंह का नाम विरासतन हक से खारिज किया गया था। दिनांक-20.05.56 की संशोधन पंजी क्र. 11 प्रदर्श पी-8 के द्वारा सुमेरी की पत्नी के नाम पर विवादग्रस्त भूमि एवं अन्य सर्वे नंबर की भूमियों का रिकार्ड दुरुस्त हुआ था एवं सुमेरी की पत्नी बजरोबाई द्वारा विवादग्रस्त भूमि उसकी पुत्री छीताबाई प्रति.क्र. 1 लगा. 5 की माँ को विक्रय करने के कारण प्रदर्श पी-7 की संशोधन पंजी के द्वारा विवादित भूमि एवं अन्य सर्वे नंबर की भूमियों पर उक्त प्रतिवादीगण की माँ का नाम दर्ज हुआ था। दिनांक-14.10.06 की संशोधन पंजी प्रदर्श पी-6 के कॉलम नंबर-7 में यह उल्लेख है कि छीताबाई के फौत होने के कारण बी-1 का वाचन करते समय छीताबाई के वारसान उपस्थित नहीं हुए थे, इस कारण उसके वारसानों का नाम दर्ज नहीं हुआ था। दिनांक-28.09.2015 के रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा प्रति.क्र. 1 लगा. 5 ने विवादग्रस्त भूमि सर्वे क्र. 7 में से 2.00/0.809 हे. भूमि एवं दिनांक-07.12.15 के रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा विवादग्रस्त भूमि सर्वे क्र. 7/1 में से 2.861 हे. भूमि प्रति.क्र.6 को विक्रय कर दी है। प्रदर्श पी-1 के खसरा पांचसाला में भूमि सर्वे क्रमांक-7/1/1 रकबा 2.239 ए. एवं उक्त खसरा पांचसाला के अन्य सर्वे नंबर की भूमियों पर प्रति.क्र. 1 लगा. 5 का नाम भूमि-स्वामी के रूप में दर्ज है एवं प्रदर्श पी-2 के खसरा पांचसाला में उल्लेखित भूमि सर्वे के नंबर की भूमि पर एवं प्रदर्श पी-3 खसरा पांचसाला में उल्लेखित भूमि सर्वे क्र. 7/2 रकबा 0.809 ए. भूमि पर प्रति.क्र. 6 का नाम प्रदर्श पी-13 के खसरा पांचसाला के सर्वे नं. 7 रकबा 5.909 ए. भूमि पर प्रति. क्र.1 लगा. 5 का नाम भूमि-स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज है। प्रदर्श पी-9 की संशोधन पंजी के द्वारा सुमेरी की पत्नी बजरोबाई ने विवादग्रस्त भूमि अपने नाम पर दर्ज कराकर विवादग्रस्त भूमि को वर्ष 1968 में अपनी पुत्री छीताबाई प्रति.क्र. 1 लगा. 5 के माँ को विक्रय कर दी थी, परंतु वादीगण एवं

प्रतिवादीगण ने उक्त विक्रयपत्र की कोई प्रति प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की है। प्रतिवादीगण ने प्रकरण में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। प्रकरण में उक्त दस्तावेज प्रस्तुत होता तो उक्त दस्तावेज से इस बात की जानकारी हो सकती थी कि सुमेरी की पत्नी बजरोबाई ने उसकी पुत्री को भूमि विक्रय क्यों की थी। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को प्रस्तुत नहीं करने से यह दर्शित होता है कि प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि की सही स्थिति छुपाने के लिए उक्त दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं किया है।

15. प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई, प्रदर्श पी-9 की संशोधन पंजी एवं प्रदर्श पी-12 की संशोधन पंजी में विवादग्रस्त भूमि विरासतन हक की भूमि होना लिखा है। उक्त संशोधन पंजियों में वादी क्र. 1 लगा. 4 के पिता एवं वादी क्र. 5 लगा. 9 के दादा फागू का नाम लिखा है। फागू के मृतक पुत्र जगन की वादी क्र. 10 रामकुंवरबाई पत्नी है। वादी क्र. 5 लगा. 9 फागू के मृतक पुत्र जगन के पुत्र-पुत्रियां हैं। वादी क्र. 11 लगा. 13 के दादा खदार थे। खदार, फागु एवं समेरीसिंह आपस में भाई थे। महासिंह प्र.सा.1 ने उसके प्रतिपरीक्षण की साक्ष्य में विवादग्रस्त भूमि को खानदानी भूमि होना स्वीकार किया है, इससे यह दर्शित है कि विवादग्रस्त भूमि खानदानी भूमि थी।

16. प्रति.क्र.1 लगा. 5 की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायदृष्टांत EXECUTIVE OFFICER, ARULMIGU CHOKKANATHA SWAMY KOIL TRUST, VIRUDHUNAGAR vs CHANDRAN and others 2017 (3) एम.पी.एल.जे. प्रस्तुत किया है। न्यायदृष्टांत में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि (क) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम (1963 का 47), धारा 34 तथा सिविल संहिता, आदेश 7, नियम 7- वाद में वादी ने, जिसके कब्जे में संपत्ति नहीं थी, आज्ञापक व्यादेश के साथ केवल घोषणात्मक राहत के लिए दावा किया-कब्जा वापस लेने के अनुतोष के बगैर केवल घोषणा के लिए वादी द्वारा दायर वाद चलने योग्य नहीं था और इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा सही रूप में खारिज कर दिया गया।

17. प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि फागु का नाम विवादग्रस्त भूमि पर से किस आधार पर खारिज किया गया था। प्रतिवादीगण ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करते कि खानदानी भूमि से फागू का नाम किस आधार पर खारिज किया गया था, तो प्रकरण में यह स्थिति स्पष्ट हो सकती थी कि फागु का नाम उसकी

सहमति या बिना सहमति के विवादित भूमि से खारिज किया गया था, परंतु प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि विवादग्रस्त भूमि पर से फागू द्वारा प्रस्तुत किये गए किस दस्तावेज के आधार पर प्रदर्श पी-12 एवं 9 की संशोधन पंजियों के द्वारा फागू का नाम काटा गया था। वादीगण ने बताया है कि बजरोबाई ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर फागू का नाम विवादग्रस्त भूमि से कटवाया था। बजरोबाई ने विवादग्रस्त भूमि उसकी पुत्री को ही विक्रय की थी। ऐसी स्थिति में भी प्रदर्श पी-9 एवं 12 की संशोधन पंजियां संदिग्ध दर्शित होती है। उक्त दोनों संशोधन पंजियों में विवादग्रस्त भूमि खानदानी भूमियां होना लिखा है, इस कारण वादीगण उनके पूर्वजों की मृत्यु होने के कारण उनके हिस्से की भूमि प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

18. प्रकरण की वादी क्र. 4, 5, 7, 8, 10 एवं 13 महिलाएं हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम वर्ष 1956 की धारा-2 की उपधारा-(1) में यह सिद्धान्त अभिर्निधारित किया है कि उप-धारा-(1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड(25) के अर्थों के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निदिष्ट न कर दे। प्रकरण के वादीगण एवं प्रतिवादीगण गोंड जाति के होकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। गोंड जाति में खानदानी भूमि पर स्त्रियों का अधिकार नहीं रहता है। इस कारण वादी क्र. 4, 5, 7, 8, 10 एवं 13 को विवादग्रस्त भूमि का स्वामी नहीं माना जा सकता है, परंतु वादी क्र. 1 लगा. 3 एवं 6 वादी क्र. 9, 11 एवं 12 पुरुष सदस्य हैं। इस कारण उक्त वादीगण उनके पूर्वज फागू एवं खदार की हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण ने विवादग्रस्त भूमि सुमेरी की स्वअर्जित भूमि बताई है, परंतु प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि विवादग्रस्त भूमि सुमेरी की स्वअर्जित भूमि थी। विवादग्रस्त भूमि स्वअर्जित होती तो प्रदर्श पी-9 एवं 12 की संशोधन पंजी में विरासतन हक की भूमि होना नहीं लिखा होता। प्रतिवादीगण ने ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि सुमेरी को विवादग्रस्त भूमि कहां से प्राप्त हुई थी। प्रदर्श पी-9 एवं 12 की संशोधन पंजी में विवादग्रस्त भूमि विरासतन हक की भूमि होना लिखा है। महासिंह प्र.सा.1 ने विवादग्रस्त भूमि

को खानदानी भूमि होना स्वीकार किया है, इस कारण वादी क्र. 1 लगा. 3 एवं 6 वादी क्र. 9, 11 एवं 12 को उनके पूर्वजों के हिस्से की भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी माना जाता है। वादी क्र. 1 लगा. 3 एवं वादी क्र. 6 वादी क्र. 9, 11 एवं 12 विवादग्रस्त भूमि के सहस्वामी हैं। सहस्वामी के लिए विवादग्रस्त संपत्ति के आधिपत्य में होना आवश्यक नहीं है। प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गए न्यायदृष्टांत से उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता है। प्रदर्श पी-9 एवं 12 की संशोधन पंजी से एवं महासिंह प्र.सा.1 की साक्ष्य से विवादग्रस्त संपत्ति खानदानी भूमि होना प्रमाणित है। इस कारण वादी क्र. 1 लगा. 3 एवं 6 वादी क्र. 9, 11 एवं 12 विवादग्रस्त भूमि के स्वामी एवं आधिपत्यधारी होकर उक्त भूमि को बंटवारा कराने के अधिकारी हैं एवं संशोधन पंजी क्र. 68 दिनांकित 04.06.68 एवं विक्रयपत्र दिनांक-18.05.1968 एवं विक्रय पंजीयन क्रमांक MP01032015A1096276 एवं विक्रय पंजीयन क्रमांक MP01032015A1196061 को शून्य घोषित कराने के अधिकारी हैं। वादप्रश्न क्र. 1 लगा. 6 का निष्कर्ष "प्रमाणित" है के रूप में दिया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक-7 सहायता एवं व्यय

19. प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में वादी क्र. 1 लगा. 3 एवं 6 वादी क्र. 9, 11 एवं 12 भूमि सर्वे क्र. 7 रकबा 14.60 ए. मौजा पोण्डी, प.ह.नं. 54, रा.नि. मं. एवं तह. बैहर, जिला बालाघाट की भूमि के संबंध में अपना वाद आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। अतः उक्त वादीगण का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर परिणामस्वरूप निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है:-

- 1- यह घोषित किया जाता है कि वादी क्र. 1 लगा. 3 एवं 6 वादी क्र. 9, 11 एवं 12 विवादग्रस्त भूमि सर्वे क्र. 7 रकबा 14.60 ए. मौजा पोण्डी, प.ह.नं. 54, रा.नि.मं. एवं तह. बैहर, जिला बालाघाट की भूमि के 1/3 भाग के स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं।
- 2- यह प्रमाणित माना जाता है कि उक्त वादीगण विवादित भूमि का बंटवारा कराने के अधिकारी हैं।

3— यह प्रमाणित माना जाता है कि संशोधन पंजी क्र. 68 दिनांकित 04.06. 68 एवं विक्रयपत्र दिनांक—18.05.1968 विक्रय पंजीयन क्रमांक MP01032015A1096276 एवं विक्रय पंजीयन क्रमांक MP01032015A1196061 प्रभावशून्य हैं।

4— यह प्रमाणित माना जाता है कि वादी क्र. 1 लगा. 3 एवं 6 वादी क्र. 9, 11 एवं 12 विवादग्रस्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में अपने हिस्से की भूमि पर अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

5— प्रतिवादीगण, वादीगण का वाद व्यय वहन करेंगे।

6— अभिभाषक शुल्क नियमानुसार देय होगी।

तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

सही / —

(दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग—1,

तहसील बैहर, जिला—बालाघाट

सही / —

(दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग—1,

तहसील बैहर, जिला—बालाघाट